वित्त लेखे, संघ सरकार FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों∕निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2010, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2010 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमश: लगभग 150436.64 करोड़ रुपए और 137460.22 करोड़ रुपए थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2010 were Rs. 150436.64 crores and Rs.137460.22 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:-

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

- I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतू दी गई गारंटियां।
- I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष | के दौरान | वर्ष के | गारंटी | कमीशन | अन्य |
|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | गारंटीकृत | आरंभ में | दौरान | दौरान | मां | गी गई | अंत में | अथव | ग फीस | तात्विक |
| | अधिकतम | बकाया | परिवर्धन | विलोपन | | | बकाया | | | ब्योरे |
| | राशि | | | (वर्ष के दौरान | | | | | | |
| | | | | ्याचित के | | | | | | |
| | | | | अलावा) | | | | | | |
| Name of Ministry | Maximum | Outstanding | Additions | Deletion | Invoke | d during | Outstanding | Gua | rantee | Other material |
| • | Amount | at the | during the | during the | the | year | at the | | mission | details |
| | | beginning of | year | year | | | end of | or | Fee | |
| | during the | the year | | (Other | | 3 | the year | | | |
| | year | | | than | उन्मोचित | अननुमोचित | | | प्राप्त की गई | 2 |
| | | | | invoked | Discharged | Not Discharged | | प्राप्य Receivable | Received | Ž |
| | | | | during the year) | | Discharged | | Receivable | Received | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | (- | करोड़ रुपयों में) |
| | | | | | | | | | (In | crore of rupees) |
| कृषि मंत्रालय— | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURE— | | | | | | | | | | |
| कृषि और सहकारिता विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of | | | | | | | | | | |
| Agriculture and Cooperation | 521.66 | 521.66 | | | | | 521.66 | 0.05 | 0.01 | |
| Agriculture and Cooperation | | | _ | | _ | _ | | 0.03 | 0.01 | _ |
| | (7) | (7) | | | | | (7) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| वस्त्र मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF TEXTILES | 531.50 | 531.50 | | 530.00 | _ | _ | 1.50 | _ | _ | 5.30* |
| | (3) | (3) | | (2) | | | (1) | | | |
| | | | | | | | | | | |

^{* 5.30} करोड़ रु. जो वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त किए जाने थे, वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त किए गए थे।

^{*} Rs. 5.30 Crores which was due to be received during 2008-09, was received during 2009-10.

| | | | | | | | | | | 6 |
|---------------|---------------|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5205.77# | 14528.50 | 1262.87 | _ | _ | 18471.40 | 53.59 | 53.59 | _ | |
| | (13) | (10) | (4) | | | (19) | | | | |
| वेतरण मत्रालय | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 24405.02 | 24405.02 | | 0.02 | | | 24405.00 | | | | |
| | | _ | 0.02 | | _ | | | | _ | |
| (3) | (3) | | | | | (2) | | | | |
| ND INDIET | DV | | | | | | | | | |
| ND INDUST | K1 — | | | | | | | | | |
| 632.60 | 622.88 | 9.72 | 26.79 | | | 605.81 | 6.90 | 0.13 | | |
| | | | | | | | 0.50 | 0.13 | | |
| (-) | () | \ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 300.00 | 300.00 | _ | 4.46 | _ | _ | 295.54 | 54.55 | _ | _ | |
| (1) | (1) | | | | | (1) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 004.05 | 004.05 | | 002.40* | | | 2.55 | | | | |
| 994.93 (6) | 994.93 (6) | _ | (5) | _ | _ | (1) | _ | _ | _ | |
| | 300.00 (1) | (23) (13) वेतरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 (3) (3) ND INDUSTRY— s 632.60 622.88 (23) (22) 300.00 300.00 (1) (1) | (23) (13) (10) वितरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — (3) (3) — ND INDUSTRY — \$ 632.60 622.88 9.72 (23) (22) (1) 300.00 300.00 — (1) (1) — | (23) (13) (10) (4) वितरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — 0.02 (3) (3) ND INDUSTRY — 8 632.60 622.88 9.72 26.79 (23) (22) (1) (2) 300.00 300.00 — 4.46 (1) (1) 994.95 994.95 — 992.40* | (23) (13) (10) (4) वितरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — 0.02 — (3) (3) (3) ND INDUSTRY — 8 632.60 622.88 9.72 26.79 — (23) (22) (1) (2) 300.00 300.00 — 4.46 — (1) (1) (1) | (23) (13) (10) (4) वितरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — 0.02 — — ND INDUSTRY— 8 632.60 622.88 9.72 26.79 — — (23) (22) (1) (2) 300.00 300.00 — 4.46 — — 994.95 994.95 — 992.40* — — | (23) (13) (10) (4) (19) वितरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — 0.02 — 34495.00 (2) ND INDUSTRY — 8 632.60 622.88 9.72 26.79 — 605.81 (21) (23) (22) (1) (2) — 295.54 (1) (1) 994.95 994.95 — 992.40* — 2.55 | (23) (13) (10) (4) (19) वेवारण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — 0.02 — — 34495.00 — (2) ND INDUSTRY— 8 632.60 622.88 9.72 26.79 — — 605.81 6.90 (23) (22) (1) (2) — (21) 300.00 300.00 — 4.46 — — 295.54 54.55 (1) (1) (1) — 992.40* — — 2.55 — | (23) (13) (10) (4) (19) अंतरण मंत्रालय 34495.02 34495.02 — 0.02 — 34495.00 — — ND INDUSTRY— 8 632.60 622.88 9.72 26.79 — 605.81 6.90 0.13 (23) (22) (1) (2) — (21) 300.00 300.00 — 4.46 — — 295.54 54.55 — (1) (1) (1) — 994.95 — 992.40* — — 2.55 — — | (23) (13) (10) (4) (19) अ4495.02 34495.02 — 0.02 — 34495.00 — — — ND INDUSTRY— 8 632.60 622.88 9.72 26.79 — 605.81 6.90 0.13 — (23) (22) (1) (2) — (21) 300.00 300.00 — 4.46 — — 295.54 54.55 — — 994.95 994.95 — 992.40* — — 2.55 — — — |

^{*} गारंटियां नवसजित फार्मास्युटिकल विभाग को अंतरित की जाती है।

 $^{* \}quad \text{Gurarantees Stand Transferred to the newly created Department of Pharmaceuticals.} \\$

[#] आई डी बी आई एवं आई आई एफ सी एल के संबंध में जो गारंटियां 1(ii) तथा 1(iii) कं अंतर्गत दर्शाई गई थीं, उनमें सुधार कर उन्हें अब 1(i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की वर्तमान शेष राशि तथा चालू वर्ष की आरम्भिक शेष राशि में अंतर है। गारंटियों की संख्या को भी घटा कर 2 तक कर दिया गया है क्योंकि ये गारंटियां भारी उद्योग विभाग और वस्त्र मंत्रालय से संबंधित हैं।

[#] Guarantees in r/o IDBI & IIFCL previously shown under 1(ii) &1(iii) are now rectified and classified under 1(i). Hence there is a difference in C.B. of previous year and O.B. of Current year. No. of Guarantees have been also been reduced by 2 as these guarantees pertain to Deptt. of Heavy Industries and M/o Textiles.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष | के दौरान | वर्ष के | गारंटी | कमीशन | अन्य |
|-------------------------------|---------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| | गारंटीकृत | आरंभ में | दौरान | दौरान | मां | गी गई | अंत में | अथव | ा फीस | तात्विक |
| | अधिकतम | बकाया | परिवर्धन | विलोपन | | | बकाया | | | ब्योरे |
| | राशि | | | (वर्ष के दौरान | | | | | | |
| | XII VI | | | याचित के | | | | | | |
| | | | | अलावा) | | | | | | |
| Name of Ministry | Maximum | Outstanding | Additions | Deletion | Invoke | d during | Outstanding | Gua | rantee | Other material |
| Tvame or winnstry | Amount | at the | during the | during the | | e year | at the | | nission | details |
| | Guaranteed | beginning of | year | year | | J | end of | or | Fee | |
| | during the | the year | | (Other | | | the year | | | |
| | year | | | than | उन्मोचित | अननुमोचित | | | | |
| | | | | invoked | Discharged | Not | | प्राप्य | प्राप्त की गई | |
| | | | | during the | | Discharged | | Receivable | Received | |
| | • | 2 | 4 | year) | | - | 0 | 0 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | , | रोड़ रुपयों में) |
| फार्मास्युटिकल्स विभाग | | | | | | | | | (In c | rore of rupees) |
| Department of Pharmaceuticals | 1008.12 | | 1008.12# | | | | 1008.12 | 53.31 | _ | |
| F | (5) | | (5) | | | | (5) | | | |
| इस्पात मंत्रालय | . , | | . , | | | | . , | | | |
| MINISTRY OF STEEL | 195.00 | 195.00 | _ | 75.00 | | _ | 120.00 | 1.55 | 1.55 | _ |
| | (4) | (4) | | (2) | | | (2) | | | |
| पोत परिवहन मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF SHIPPING | 255.46 | 255.46 | _ | _ | | _ | 255.46** | _ | _ | _ |
| जल संसाधन मंत्रालय | (1) | (1) | | | | | (1) | | | |
| MINISTRY OF WATER | | | | | | | | | | |
| RESOURCES | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2.47 | 2.47 | 2.59* |

[#] गारंटियां रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग से अंतरित कर दी गई। इसमें 15.72 करोड़ रु. की ब्याज राशि भी शामिल है।

[#] Guarantees transferred from Deptt. of Chemicals and Petrochemicals. This also includes interest amount of Rs.15.72 crores.

^{*} गारंटी शुल्क की अदायगी देय तिथियों पर नहीं करने पर अर्थ-दंड लगाया जाना। अर्थ-दंड को माफ किए जाने का एक प्रस्ताव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है।

^{*} Levy of Penalty for not making Payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for waiver of Penalty is under Consideration in the D/o Eco. Affairs, M/o Finance.

^{** 255.46} करोड़ रु. की गारंटी की राशि रक्षा मंत्रालय को अंतरित कर दी गई है।

^{**} The amount of guarantee of Rs. 255.46 crores stands transferred to Ministry of Defence.

- (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जीं, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-
- (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

| कृषि मंत्रालय- MINISTRY OF AGRICULTURE- कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and | _ | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|---------------|---|---|---------------|------|------|---|
| Cooperation | 226.18 | 226.18 | _ | 89.90 | | _ | 136.28 | _ | _ | _ |
| | (6) | (6) | | (2) | | | (4) | | | |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय— MINISTRY OF CHEMICALS AN FERTILISERS— रसायन और पेट्रो रसायन विभाग | D | | | | | | | | | |
| Department of Chemicals and | | | | | | | | | | |
| Petro Chemicals | 100.00 (1) | 100.00 (1) | _ | _ | _ | _ | 100.00 (1) | 1.00 | | _ |
| विद्युत मंत्रालय | | | | | | | | | _ | |
| MINISTRY OF POWER | 383.08 (12) | 383.08 (12) | _ | 139.08 (4) | _ | _ | 244.00 (8) | 0.54 | 0.54 | _ |
| वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | | | | | |
| Department of | 3281.13 | 3281.13* | _ | 955.53 | _ | _ | 2325.60 | 6.72 | 6.72 | _ |
| Economic Affairs | (35) | (35) | | (10) | | | (25) | | | |

^{*} आई डी बी आई तथा आई आई एफ सी एल के संबंध में प्रतिभूतियों को पहले 1(ii) के अंतर्गत दर्शाया गया था जिसमें अब सुधार कर लिया गया है और इन्हें 1(i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की नकद शेष राशि तथा चालू वर्ष की आरम्भिक राशि में अंतर है।

^{*} Guarantees in r/o IDBI & IIFCL were Previously shown under 1(ii) and now rectified and classified under 1(i). Hence there is a difference in C.B. of previous year and O.B. of Current year.

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम | वर्ष के आरंभ में बकाया | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान विलोपन | | िके दौरान गी गई | वर्ष के अंत में बकाया | | कमीशन ग फीस | अन्य तात्विक ब्योरे |
|--|---|---|---------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|
| | आधकतम राश <u>्</u> रि | षकाया | पारवधन | विलापन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा) | | | षकाया | | | <u></u> જ્યા ર |
| Name of Ministry | Maximum Amount Guaranteed during the | Outstanding at the beginning of the year | Additions during the year | Deletion during the year (Other | | d during e year | Outstanding at the end of the year | Comi | rantee mission Fee | Other material details |
| | year | | | than invoked during the year) | उन्मोचित Discharged | अननुमोचित Not Discharged | | प्राप्य Receivable | प्राप्त की गई Received | • |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | \ | 11 करोड़ रुपयों में) crore of rupees) |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE A | ND INDUSTI | RY— | | | | | | | | |
| भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | 263.99 (5) | 263.99 (5) | _ | _ | _ | _ | 263.99 (5) | _ | _ | _ |
| MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION | 8679.52 (17) | 8679.52 (17) | _ | 3100.03 | _ | _ | 5579.49 (17) | _ | _ | _ |
| रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS | 134.08 (4) | 134.08 (4) | _ | 75.00 | _ | _ | 59.08 (4) | 1.34 | 1.34 | _ |

| इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL | 448.40 | 448.40 (3) | _ | 35.00 | _ | _ | 413.40 (3) | 4.13 | 4.13 | _ |
|--|----------------|----------------|---|---------------|---|---|---------------|-------|------|---|
| शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | 314.44 (11) | 314.44 (11) | _ | 161.34 (6) | _ | _ | 153.10 (5) | 0.40 | 0.40 | _ |
| संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICAT AND INFORMATION TECHN | TION | (11) | | (0) | | | (3) | | | |
| दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS | 409.00 | 409.00 | _ | 409.00 | _ | _ | _ | 46.67 | _ | _ |
| | (4) | (4) | | (4) | | | | | | |

- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:—
- (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

| नागर विमानन मंत्रालय | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------|----------|--------|---|---|----------|-------|-------|---|
| MINISTRY OF | 19756.52 | 9433.42 | 10323.10 | 768.48 | _ | _ | 18988.04 | 85.72 | 81.84 | _ |
| CIVILAVIATION | (16) | (10) | (6) | | | | (16) | | | |
| कोयला मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF COAL | 2576.70 | 2071.29 | 505.41 | 367.82 | _ | _ | 2208.88 | 25.01 | 28.88 | _ |
| | (5) | (5) | | | | | (5) | | | |

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष के | वर्ष | के दौरान | वर्ष के | गारंटी | कमीशन | अन्य |
|---|---------------|-------------|------------|-----------------------|------------|------------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------------|
| | गारंटीकृत | आरंभ में | दौरान | दौरान | मां | गी गई | अंत में | अथन | वा फीस | तात्विक |
| | अधिकतम | बकाया | परिवर्धन | विलोपन | | | बकाया | | | ब्योरे |
| | राशि | | | (वर्ष के दौरान | | | | | | |
| | | | | ्याचित के | | | | | | |
| | | | | अलावा) | | | | | | |
| Name of Ministry | Maximum | Outstanding | Additions | Deletion | Invoke | d during | Outstanding | Gua | arantee | Other material |
| , | Amount | at the | during the | during the | | year | at the | | mission | details |
| | Guaranteed | 0 0 | year | year | | | end of | OI | r Fee | |
| | during the | the year | | (Other | उन्मोचित | 3 | the year | | | |
| | year | | | than | | अननुमोचित | | | प्राप्त की ग | 2 |
| | | | | invoked during the | Discharged | Not Discharge | d | प्राप्य Receivable | Received | |
| | | | | year) | | Discharge | u | Receivable | Received | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | (| करोड़ रुपयों में) |
| विद्युत मंत्रालय | | | | | | | | | (In | crore of rupees) |
| MINISTRY OF POWER | 19984.50 | 17175.85 | 2808.65 | 1248.56 | _ | _ | 17196.84* | 233.58 | 233.58 | |
| | (43) | (42) | (1) | (3) | | | (40) | | | |
| वित्त मंत्रालय — | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग | | | | | | | | | | |
| आयक काय विभाग Department of | 32451.81 | 24666.30# | 7785.51 | 878.81 | | | 31573.00 | 56.81 | 10.73 | |
| Economic Affairs | (78) | (73) | (5) | (3) | | | (75) | 30.01 | 10.75 | |
| सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | . , | | . , | . , | | | . , | | | |
| MINISTRY OF MICRO, | | | | | | | | | | |
| SMALL & MEDIUM ENTERPR | ISES | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड | | | | | | | | | | |
| National Small Industries | | | | | | | | | | |
| Corporation Limited | 67.78 | 67.31 | 0.47 | 9.27 | | | 58.51 | 0.72 | | _ |
| | (3) | (3) | | | | | (3) | | | |

[#] आई डी बी आई के संबंध में प्रतिभूतियों को पहले 1(iii) के अंतर्गत दर्शाया गया था जिसमें अब सुधार कर लिया गया है और इन्हें 1(i) के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की नकद शेष राशि तथा चालू वर्ष की आरम्भिक राशि में अंतर है।

[#] Guarantees in r/o IDBI previously shown under 1(iii) are new rectified and classified under 1(i). Hence there is a difference in C.B. of previous year and O.B. of Current year.

^{*} विदेशी मुद्रा दरों में विभिन्नता के कारण अंतर।

^{*} Difference due to variation in foreign exchange rates.

| नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MINISTRY OF NEW AND | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| RENEWABLE ENERGY | 817.04 | 684.53 | 132.55 | 119.31 | _ | _ | 697.77 | 6.79 | 6.79 | _ |
| | (4) | (3) | (1) | | | | (4) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF STEEL | 528.50 | 528.50 | _ | 20.69 | _ | _ | *454.63 | 1.17 | 1.17 | _ |
| | (3) | (3) | | (1) | | | (2) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF URBAN | | | | | | | | | | |
| DEVELOPMENT | 714.43 | 714.43 | _ | 104.82 | _ | _ | 609.61 | 5.95 | 5.95 | _ |
| | (2) | (2) | | | | | (2) | | | |
| (iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उ | उधार के आधार | पर की गई पूर्तिर | यों/दी गई सेवाअ <u>ं</u> | ों के लिए निम्नलि | ाखित कंपनियों/नि | गमों द्वारा जारी | किए गए प्राधिकार | पत्रों के सम्बन्ध | में बैंकों को दी ग | ाई प्रति-गारंटियां:- |
| (iv) Counter-guarantees to banks | in considera | tion of the ba | nks having is | ssued letters of | authority to fo | oreign suppl | iers for supplie | s/services mad | e/rendered by | them on credit |
| basis, in favour of the com | panies/corpo | rations:— | | | | | | | | |
| इस्पात मंत्रालय | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF STEEL | 620.36 | 620.36 | _ | 10.00 | _ | _ | 610.36 | 32.94 | 6.10 | _ |
| | (9) | (9) | | (1) | | | (8) | | | |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — | | | | | | | | | | |
| MINISTRY OF COMMERCE AN | ID INDLISTR | Y_ | | | | | | | | |
| भारी उद्योग विभाग | DINDUSTR | .1 | | | | | | | | |
| Department of Heavy Industry | 10.60 | 10.60 | | | | | 10.60 | | | |
| Department of fleavy industry | | | _ | | _ | | | | _ | |
| | (1) | (1) | | | | | (1) | | | |

(v)कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों / भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे / राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— भून्य / NIL —

^{*} विदेश विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण अंतर।

^{*} Difference due to variation in foreign exchange rates.

0.17

वित्त लेखे, संघ सरकार

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concld.

| मंत्रालय का नाम | वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि | वर्ष के आरंभ में बकाया | वर्ष के दौरान परिवर्धन | वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के | मां | िके दौरान गी गई | वर्ष के अंत में बकाया | | कमीशन ग फीस | अन्य तात्विक ब्योरे |
|--|---|---|------------------------------|--|------------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|---|
| Name of Ministry | Maximum Amount Guaranteed during the year | Outstanding at the beginning of the year | Additions during the year | अलावा) Deletion during the year (Other than | | d during e year अननुमोचित | Outstanding at the end of the year | Com | rantee mission Fee | Other material details |
| | | | | invoked during the year) | Discharged | Not Discharged | | प्राप्य Receivable | प्राप्त की गई Received | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ` | 11 करोड़ रुपयों में) crore of rupees) |
| विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए ग (vi) Performance guarantees g | | - 1 | ~ | | | in foreign c | ountries: — | | | |
| शहरी विकास मंत्रालय MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 1.50 | _ | _ |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF COMMERCE A भारी उद्योग विभाग | AND INDUSTR | XY— | | | | | | | | |

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

Department of Heavy Industry

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

— शून्य / NIL —